"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 245] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 जून 2017 — आषाढ़ 1, शक 1939

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–39/2017/वा.कर(आब.)/पांच (55). —— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 8 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी की गई पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 10–05/2016/वा.कर(आब.)/पांच (40), दिनांक 31 मार्च, 2016 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, ऐसी विदेशी मदिरा (बीयर को अपवर्जित करते हुए), जिसकी भण्डागार प्रदाय दर (काउन्टर वेलिंग ड्यूटी को छोड़कर) रूपये 1500/– (अक्षरी रूपये एक हजार पांच सौ) प्रति पेटी (अर्थात् 12 क्वार्ट बोतल) तक हो, का विदेशी मदिरा एफ.एल.1(घघ) फुटकर दुकान से एफ.एल.3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्तिधारियों के लिए परिवहन प्रतिषिद्ध करती है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01–04–2017 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–39/2017/वा.कर(आब.)/पांच (56). —— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 8 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, ऐसी विदेशी

मदिरा (बीयर को अपवर्जित करते हुए), जिसकी भण्डागार प्रदाय दर (काउन्टर वेलिंग ड्यूटी को छोड़कर) रूपये 1500/– (अक्षरी रूपये एक हजार पांच सौ) प्रति पेटी (अर्थात् 12 क्वार्ट बोतल) तक हो, का विदेशी मदिरा एफ.एल. 1(घघ) फुटकर दुकान से एफ.एल. 3–क (शॉपिंग माल रेस्टोंरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्तिधारियों के लिए परिवहन प्रतिषिद्ध करती है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01–04–2017 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–39/2017/वा.कर(आब.)/पांच (57). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 8 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी की गई पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 10–5/2016/वा.कर(आब.)/पांच (42), रायपुर दिनांक 31 मार्च, 2016 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा ऐसी विदेशी मदिरा (बीयर को अपवर्जित करते हुए), जिसकी भण्डागार प्रदाय दर (काउन्टर वेलिंग ड्यूटी को छोड़कर) रूपये 1500/– (अक्षरी रूपये एक हजार पांच सौ) प्रति पेटी (अर्थात् 12 क्वार्ट बोतल) तक हो, का विदेशी मदिरा एफ.एल.1(घघ) फुटकर दुकान से एफ. एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) एवं एफ. एल.4क (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्तिधारियों के लिए परिवहन प्रतिषिद्ध करती है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01–04–2017 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–39/2017/वा.कर(आब.)/पांच (58). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (कमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप–धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप–धारा (1) तथा उप–धारा (2) के खण्ड (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :–

संशोधन

1. उक्त नियमों में :–

   (1) प्ररूप एफ.एल.2 की शर्त क्रमांक (7) के खण्ड (ख) में शब्द समूह, "प्रति क्वार्ट बोतल के लिये रूपये पच्चीस" के स्थान पर शब्द समूह, "प्रति क्वार्ट बोतल के लिये रूपये पचहत्तर" प्रतिस्थापित किया जावे।

   (2) प्ररूप एफ.एल.3 की शर्त क्रमांक (4) के खण्ड (ख) में शब्द समूह, "प्रति क्वार्ट बोतल के लिये क्रमशः रूपये एक सौ सत्तर और रूपये पच्चीस" के स्थान पर शब्द समूह, "प्रति क्वार्ट बोतल के लिये क्रमशः रूपये छः सौ दस और रूपये पचहत्तर" प्रतिस्थापित किया जावे।

(3) प्ररूप एफ.एल.3–क की शर्त क्रमांक (4) के खण्ड (ख) में शब्द समूह एवं अंक, "स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 170/– एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 25/–" के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक, "स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 610/– एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 75/–" प्रतिस्थापित किया जावे।

2. यह संशोधन दिनांक 01 अप्रैल 2017 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–39/2017/वा.कर(आब.)/पांच (59). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (कमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप–धारा (2) के खण्ड (च), (छ) एवं (ज) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 18 के उप–नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :–

संशोधन

1. उक्त नियमों में :–

(1) प्रारूप एफ.एल.2 (रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 7–ब में शब्द समूह "विदेशी मदिरा माल्ट की क्वार्ट बोतल से अन्यून की धारिता वाली बोतल" विलोपित किया जावे।

(2) प्रारूप एफ.एल.3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 6–ब में शब्द समूह "विदेशी मदिरा माल्ट की क्वार्ट बोतल से अन्यून की धारिता वाली बोतल" विलोपित किया जावे।

(3) प्रारूप एफ.एल.–3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की शर्त कमांक–7(क) में शब्द समूह एवं अंक "लैंडिग प्राईस रूपये 1600/–" के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक "विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर (काउन्टर वेलिंग ड्यूटी को छोड़कर) रूपये 1500/–" प्रतिस्थापित किया जावे।

(4) प्रारूप एफ.एल.3–क (शॉपिंग मॉल रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 6 (ख) में शब्द समूह "विदेशी मदिरा माल्ट की क्वार्ट बोतल से अन्यून की धारिता वाली बोतल" विलोपित किया जावे।

(5) प्रारूप एफ.एल.3–क (शॉपिंग मॉल रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त कमांक–6(ग) में शब्द समूह एवं अंक "लैंडिग प्राईस रूपये 1600/–" के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक "विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर (काउन्टर वेलिंग ड्यूटी को छोड़कर) रूपये 1500/–" प्रतिस्थापित किया जावे।

(6) प्रारूप एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 5 में शब्द समूह "विदेशी मदिरा माल्ट की क्वार्ट बोतल से अन्यून की धारिता वाली बोतल" विलोपित किया जावे।

(7) प्रारूप एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) की शर्त कमांक–7(क) में शब्द समूह एवं अंक "लैंडिग प्राईस रूपये 1600/–" के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक "विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर (काउन्टर वेलिंग ड्यूटी को छोड़कर) रूपये 1500/–" प्रतिस्थापित किया जावे।

(8) प्रारूप एफ.एल.4क (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 5 में शब्द समूह ''विदेशी मदिरा माल्ट की क्वार्ट बोतल से अन्यून की धारिता वाली बोतल'' विलोपित किया जावे।

(9) प्रारूप एफ.एल.4क (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक–7(क) में शब्द समूह एवं अंक ''लैंडिग प्राईस रूपये 1600/–'' के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक ''विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर (काउन्टर वेलिंग ड्यूटी को छोड़कर) रूपये 1500/–'' प्रतिस्थापित किया जावे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01–04–2017 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–39/2017/वा.कर(आब.)/पांच (60). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप–धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ.), (च), (छ) एवं (ज) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 18 के उप–नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात :–

संशोधन

1. उक्त नियमों में :–

(1) प्रारूप एफ.एल.–2 (रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की ''शर्त क्रमांक 8 (क)'' में शब्द एवं अंक समूह ''पूर्वान्ह 10.30 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह ''अपरान्ह 12.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक प्रतिस्थापित किया जावे।

(2) प्रारूप एफ.एल.–3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की ''शर्त क्रमांक 8 (क)'' में शब्द एवं अंक समूह ''पूर्वान्ह 10.30 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक'' के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह ''अपरान्ह 12.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक'' प्रतिस्थापित किया जावे।

(3) प्रारूप एफ.एल.–3क (शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 9 (क) में शब्द एवं अंक समूह ''पूर्वान्ह 10.30 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक'' के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह ''अपरान्ह 12.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक'' प्रतिस्थापित किया जावे।

(4) प्रारूप एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 8 (क) में शब्द एवं अंक समूह ''पूर्वान्ह 10.30 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक'' के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह ''अपरान्ह 12.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक'' प्रतिस्थापित किया जावे।

(5) प्रारूप एफ.एल.4क (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 8 (क) में शब्द एवं अंक समूह ''पूर्वान्ह 10.30 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक'' के स्थान पर शब्द एवं अंक ''अपरान्ह 12.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक'' प्रतिस्थापित किया जावे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01–04–2017 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.